



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : प्रशा०/140/2025 दिनांक : 20/03/2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, आवासीय संस्थान।
3. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. समन्वयक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या : डिग्री विकास/3180/2025-26 दिनांक 19.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु बिना जमानत एवं बिना गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही पात्र विद्यार्थियों को ब्याज अनुदान का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान/महाविद्यालय में उक्त योजना के संबंध में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें। उक्त हेतु छात्र-छात्राओं के बीच प्रचार-प्रसार, जागरूकता तथा सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करने जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित हो सकें।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. उप कुलसचिव, प्रशासन/सम्बद्धन।
5. विश्वविद्यालय, जनसम्पर्क अधिकारी।
6. उप कुलसचिव-कुलपति सचिवालय/कैम्प कार्यालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. प्रभारी वेब-साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लोगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई - मेल/तत्काल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 3180 /2025 - 26 दिनांक - 19/03/2026
विषय - प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार - प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या भ०स० - 8/सत्तर - 3 - 2026 - 1953159 दिनांक 12 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार - प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

प्रश्रुत प्रकरण के संबंध में शासन के पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई - मेल आईडी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय
Digitally signed by

SHASHI KAPOOR

Date: 18-03-2026

19/03/2026 (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों से सूचना संकलित कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई - मेल/तत्काल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/

/2025 - 26

दिनांक - 19/03/2026

विषय - प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार - प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या भ०स० - ४/सत्तर - ३ - २०२६ - १९५३१५९ दिनांक १२ मार्च, २०२६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार - प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासन के पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक २९.०१.२०२६ में दिये गये निर्देश के क्रम में कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई - मेल आई०डी० dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ 3180-82

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - ३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों से सूचना संकलित कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
SHASHI KAPOOR
Date: 18-03-2026

39:14:15
डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2

कुल सचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक: 12 मार्च, 2026

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या -39-1/ 2025-CSIS-Part(1) (ii), दिनांक 29 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश दिये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 11-03-2026
भारतीय

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

शकील अहमद सिद्दीकी

14/3/26

डॉ० (वि०एल०एन०)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर) उत्तर
प्रयागराज

15

1311

सं-मा० स०-०८/सं-३-२०२६

No. 5056/JMS/GI/2026



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

पी. के. बनर्जी
संयुक्त सचिव

P.K. Banerjee

Joint Secretary

Tel: 011-23383432

Email: pk.banerjee@nic.in

D.O. No. 39-1/2025-CSIS-Part(1)(ii)

Dated 29th January, 2026

Respected Sir/Ma'am

I am writing to you regarding dissemination of information on the Government of India scheme for financial assistance to meritorious students, namely the Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme, which provides collateral-free and guarantor-free education loans, along with a 3% interest subvention on loans up to ₹10 lakhs for students with an annual family income of up to ₹8 lakhs.

2. Reference is invited to this Department's earlier D.O. letter No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii) dated 15.07.2025 (copy enclosed), wherein the need to create awareness about education loan and interest subvention schemes was highlighted. While the PM-Vidyalaxmi Scheme offers an easily accessible and student-friendly online platform for availing collateral-free and guarantor-free education loans, its awareness and utilisation are still below the desired

In this context, State Governments can play a key role in ensuring last-mile outreach. It is therefore requested that the action taken on the earlier communication may kindly be reviewed and further steps be taken to strengthen awareness of the PM-Vidyalaxmi Scheme at the State and district levels, using existing platforms such as State Education Departments, Universities, Colleges, Schools and skill institutions, in coordination with State Level Bankers Committees and District Level Coordination Committees.

4. These efforts will help improve awareness and ensure that meritorious students are able to access financial support for pursuing higher education in a timely manner.

29605(AT)/re

V.S. With regards,

श. स. उच्च शिक्षा

Encl: a/a

10.02.26

(अमृत सिपाठी)

सचिव

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (as per list)

06/02/2026
विशेष सचिव (बै स्टॉफ अफिशर,
मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग)

Yours sincerely,

पू. के. बनर्जी

(P.K. Banerjee)

7534/VS(T)/26

(अखिल शर्मा)

निजी सचिव
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

उच्च शिक्षा अनु-3

11/02/2026

12.02.2026



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
शिक्षा मंत्रालय
Ministry of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग

Department of Higher Education
127 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
127 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

डॉ. विनीत जोशी, भा.प्र.से.
सचिव

Dr. VINEET JOSHI, IAS
Secretary

Tel: 011-23366451 23382698
E-mail: secy.dhe@dic.in

Dated: 15th July, 2025

D.O. No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii)


Dear Ma'am/Sir,

I am pleased to inform you that the Government of India has launched a new central sector scheme "PM-Vidyalaxmi" to provide collateral-free and guarantor-free education loans to students admitted to top-quality higher education institutions, with a 3% interest subvention for loan upto Rs 10 lakhs with annual family income up to ₹8 lakh. Another central sector scheme "PM-USP CSIS" provides full interest subsidy during the moratorium period on education loans upto 10 lakhs for students with annual family income up to ₹4.5 lakh, pursuing professional or technical courses in India from specific institutions. Additionally, under the **Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)**, the Government provides up to 75% guarantee cover on education loans up to ₹7.5 lakh, without the need for collateral or third-party guarantee. **Applications for these schemes may be submitted online at <https://pmvidyalaxmi.co.in>.** The detailed guidelines are available at <https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-4>.

2. In this context, you would appreciate that awareness of education loan and interest subvention schemes is vital to broaden their reach and promote effective utilization. It would be very helpful if you can arrange to instruct the State Level Bankers Committee (SLBC) and corresponding **District Level Consultative Committees (DLCCs)** to proactively disseminate information on these education loan and interest subvention schemes through local platforms—including State Education Boards, schools, Banks, and Regional Rural Banks (RRBs)—to raise public awareness and support effective implementation. Multi-lingual pamphlets regarding this are available in the PM Vidyalaxmi portal for immediate use.

With regards,

Yours sincerely,


(Dr. Vineet Joshi)

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (as per list)